

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1266

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानव स्वास्थ्य पर सीसे के प्रभाव का आकलन

1266. श्री हसनैन मसूदी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को मानव स्वास्थ्य पर सीसे के प्रभाव का आकलन और भारत की प्रतिक्रिया के संबंध में नीति आयोग की 2020 की रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें इस बात को उजागर किया गया है कि 275 मिलियन बच्चों अर्थात् भारत के सभी बच्चों में से 50 प्रतिशत बच्चों के रक्त में सीसे का स्तर बढ़ा हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में मानव स्वास्थ्य पर सीसे की विषाक्तता के प्रभाव के संबंध में ऐसा कोई अध्ययन कराया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने घरेलू वस्तुओं में जहरीले सीसे और सीसे के मिश्रण के प्रयोग के विरुद्ध कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार के पास विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सीसे से विषाक्तता के मामलों की कुल संख्या के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने 2020 में पटना, बिहार में बच्चों में रक्त उच्च सीसा स्तर और जोखिम कारकों की व्यापकता के जानपदिक रोगविज्ञानी संबंधी अध्ययन में भाग लिया है। अनौपचारिक उपयोग किए गए लेड-एसिड बैटरी (यूएलएबी) पुर्नचक्रण संचालन से संबंधित पूर्व चिन्हित सीसा स्थल स्रोतों से समीपस्थ (0.3 किमी के भीतर) और दूरस्थ (5.8 किमी से अधिक) रहने वाले बच्चों (<6 वर्ष) के इस सामुदायिक स्तर के मूल्यांकन में रक्त सीसा स्तर माप और बच्चों में सीसा एक्सपोजर के विभिन्न स्रोतों का मूल्यांकन शामिल था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जनसंख्या विशेषकर बच्चों के लिए स्वस्थ उत्तरजीविता के लिए सूचना, शिक्षा संप्रेषण/व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) कार्यक्रमलाप किए जाते हैं।

यथासूचित, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने नवंबर 2016 में "घरेलू और सजावटी पेंट में सीसा सामग्री पर विनियमन नियम, 2016 " के रूप में एक अधिसूचना पारित की है और 90 अंश प्रति मिलियन (पीपीएम) से अधिक सीसा या सीसा यौगिकों वाले घरेलू और सजावटी पेंट के विनिर्माण, व्यापार, आयात और निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

देश में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरियों के एकत्रण, वर्गीकरण और पुनर्चक्रण तथा आयात को विनियमित करने के लिए मई, 2001 में बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001 अधिसूचित किए गए थे।
